24.05.22- पत्रावली आज पेश हुई।
वादीगण व वादीगण के
अधिवक्ता अनुपस्थित।
वादीगण को मय अधिवक्ता
कोर्ट समय से तीन बार तीन-
तीन आवाजे दिलाई गयी
बावजूद आवाजे दिलाने के
वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता
अनुपस्थित। अतः उक्त
प्रस्तुत प्रकरण वादीगण की
अदम हाजरी व अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली
निर्णय सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:28 IST
Reason: SelfAttested

बनाम श्रीमान तहसीलदार [illegible]

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर (S.D.O.)

गुड़ामालानी

वादीगण :-

1. अर्जुनराम पुत्र पूनमाराम, उम्र 46 वर्ष
2. ताजाराम पुत्र पूनमाराम, उम्र 42 वर्ष
3. किसनाराम पुत्र पूनमाराम, उम्र 38 वर्ष
4. वेहनाराम पुत्र पदमाराम, उम्र 52 वर्ष
5. रूपाराम पुत्र पदमाराम, उम्र 49 वर्ष
6. गोमाराम पुत्र पदमाराम, उम्र 45 वर्ष

जातियान जाट, निवासीयान कानासर, ग्राम पंचायत भांभूनगर, तहसील गुड़ामालानी, जिला – बाड़मेर

<u>बनाम</u>

प्रतिवादीगणः-

1. श्रीमान तहसीलदार, गुड़ामालानी
2. वीरमाराम पुत्र प्रागाराम, उम्र 80 वर्ष
3. मोटाराम पुत्र प्रागाराम फोत के कायम मुकाम

   I. डालूराम पुत्र मोटाराम, उम्र 49 वर्ष

   II. [illegible] मोटाराम, उम्र 41 वर्ष

   III. [illegible] 36 वर्ष

   IV. प्रेमाराम पुत्र [illegible]टाराम, उम्र 33 वर्ष

   V. तीजोदेवी पत्नी मोटाराम, उम्र 70 वर्ष
4. गोमाराम पुत्र प्रागाराम, उम्र 70 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:28 IST
Reason: SelfAttested

5. गोरखाराम पुत्र प्रागाराम, उम्र 68 वर्ष
6. मेघाराम पुत्र प्रागाराम, उम्र 65 वर्ष

जातियान जाट, निवासीयान कानासर, पटवार हल्का धोलानाडा, तहसील गुड़ामालानी, जिला – बाड़मेर

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा, खातेदारी एवं पाने स्थायी निषेधाज्ञा

महोदयजी,

निवेदन वादीगण की ओर से निम्न प्रकार है –

1. कि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं पूर्वज भैराराम के पोते हैं एवं मूल रूप से जूनी उन्दरी गांव के ही स्थायी निवासी हैं। कि वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी भूमि मौजा कानासर, पटवार हल्का धोलानाडा में खेत खसरा नम्बर 272 स्थित है। कि खसरा नम्बर 272 वास्तविक रूप से रकबा 65 बीघा था एवं मौके पर खसरा नम्बर 272 के खातेदारान का कब्जा भी 65 बीघा भूमि पर था, किन्तु राजस्व नक्शे के गलत चित्रण से राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 272 का रकबा 51.09 बीघा ही दर्ज किया गया है।
2. कि मूल खसरा नम्बर 272 रकबा 51.09 बीघा में वादी संख्या 1 से 3 व 4 से 6 के मध्य विभाजन होने पर रकबा 14.03 बीघा भूमि वादी संख्या 4 से 6 को खसरा नम्बर 272 के रूप में व रकबा 37.06 बीघा भूमि वादी संख्या 1 से 3 को नए खसरा नम्बर 459/272 के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। किन्तु वास्तविक रूप से वादी संख्या 1 से 3 ने मौके पर अपने कब्जे काश्त अनुसार रकबा 47 बीघा भूमि बतौर ... प्राप्त की एवं वादी संख्या 4 से 6 ने 18 बीघा भूमि पर कब्जा प्राप्त कर कायम किया गया, जो आज दिन तक लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:28 IST
Reason: SelfAttested